भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 63

उत्तर देने की तारीखः19.07.2021

नई शिक्षा नीति

†63.**डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई शिक्षा नीति, 2020 संविधान में बच्चों हेतु अधिदेश को दुर्भाग्यवश स्वीकार नहीं करती है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार के वर्तमान संवैधानिक अधिदेश के विरुद्ध है और इसमें आरक्षण प्रणाली का उल्लेख नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई शिक्षा नीति समाज में अभिजात और सम्पन्न परिवारों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी और यह गरीब ग्रामीण बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020देश में स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I. नई नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% प्रतिशत जीईआर के साथ प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है।
II. 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा और 3 वर्ष की आंगनवाडी/प्री-स्कूलिंग के साथ नया 5+3+3+4 स्कूल पाठ्यक्रम।
III. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बल, स्कूलों में शैक्षणिक स्ट्रीमों, पाठयेत्तर, व्यावसायिक स्ट्रीम के बीच कोई कठोर पृथकीकरण नहीं; व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से शुरू होगी ।
IV. 360 डिग्री सम्पूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ मूल्यांकन सुधार, जिससे अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों की प्रगति ट्रैक की जा सके। मूल्यांकन सुधार हेतु मानक

स्थापक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख (समग्र विकास के लिए कार्य निष्पादन, ज्ञान की समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की जाएगी।

V. आधारभूत मापदंडों (नामत: सुरक्षा, संरक्षा, आधारभूत अवसंरचना, विषयों और कक्षाओं में शिक्षकों की संख्या,वित्तीय ईमानदारी और अभिशासन की स्वस्थ्यप्रक्रियाओं) पर आधारित न्यूनतम मानदंड, जिनका सभी विद्यालयों द्वारा पालन किया जाएगा,स्थापित करने के लिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना।

VI. शिक्षक-शिक्षा का बहुविषयी वातावरण और 4 - वर्षीय बी.एड एकीकृत में अंतरण किया जाएगा ताकि 2030 तक स्कूल शिक्षकों के लिए यह न्यूनतम डिग्री अर्हता बन जाए।

VII. 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना।

VIII. नई नीति स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों, दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है; जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक अधिमानत: कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घर पर बोली जाने वाली भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी; राष्ट्रीय पाली, पारसी और प्राकृत राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी।

IX. उच्च शिक्षा में जीईआर को बढ़ाकर 2035 तक 50% करना।

X. उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों का लचीलापन होगा ।

XI. एकाधिक प्रवेश/निर्गमन और अंकों के शैक्षणिक बैंक के माध्यम से अंकों का अंतरण।

XII. मजबूत अनुसंधान संस्कृति के संपोषण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित किया जाएगा ।

XIII. उच्चतर शिक्षा का सरल किंतु कठोर विनियमन, विभिन्न कार्यकलापों के लिए चार अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के साथ एकल नियामक - भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) ।

XIV. कॉलेजों को पारदर्शी स्तरित प्रत्यायन प्रणाली के माध्यम से स्तरीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिए एक चरणवार तंत्र स्थापितकिया जाएगा ।

XV. इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी कासंवर्धित उपयोग;राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना।

XVI. लाभवंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर समावेशी कोष, विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना।

(ख) से (घ):नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अच्छे नैतिक विचारों और मूल्यों के साथ, करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक कल्पना रखने वाले तर्कसंगत विचार और कार्रवाई में सक्षम अच्छे इंसानों का विकास करना है। इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए कार्यरत, उत्पादक और योगदान करने वाले नागरिकों का निर्माण करना है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद 21-ए के परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है। आरटीई अधिनियम, 2009,6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकारप्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 2 (घ) और 2 (ड.) में अनिवार्य रूप से वंचित और कमजोर वर्ग समूह के बच्चों की परिभाषा को नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा नहीं बदला गया है।

नई शिक्षा नीति, 2020 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के बच्चों की पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटने की परिकल्पना की गई है, जो सभी शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

****